राजस्व वाद संख्याः– 160/2019
अंगददास स्वामी बनाम प्रहलाददास वगैं0
निर्णय दिनांकः– 09.12.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 160/2019

1. अंगददास स्वामी आयु 29 वर्ष पुत्र स्व0 ब्रजदासजी उर्फ ब्रजलालदास जी जाति स्वामी निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं जरिये मुख्तयार खास ज्ञानप्रकाश गोयल आयु 51 वर्ष पुत्र नन्दकिशोर जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 8 रींगस जिला सीकर।

– वादी

बनाम

1. प्रहलाददास आयु 84 वर्ष तथाकथित चेला महादेवदास जाति स्वामी निवासी पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

:: निर्णय ::

दिनांक – 09.12.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि इस्तकरारहक इस अमर का फरमाया जावे कि जमीन ख0न0 376 तादादी 7.42 है0 ख0न0 975 तादादी 0.05 है0, ख0न0 1350/975 तादादी 4.41 है0 ख0न0 974 तादादी 0.05 है0 गै0मु0कुंआ व ख0न0 739 तादादी 6.21 है0 वाके ग्राम पिलानी का खातेदार काश्तकार वादी है व काबिज है तथा इस जमीन का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी आदि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से अवैध, नल एन्ड वोईड है तथा वादी के हक अधिकारों के विपरीत शून्य व बेअसर है जिसे दुरूस्त किया जाकर विवादित जमीन के राजस्व अभिलेख में वादी की खातेदारी में होने का अमल दारामद किया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण न0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 जमीन जेर बहस के वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डाले तथा इस जमीन को किसी अन्य के हक में किसी प्रकार से अंतरित नहीं करे व न इस जमीन को किसी अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द एवं वेस्ट एन्ड डेमेज करें।

(ग) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्याः– 160/2019
अंगददास स्वामी बनाम प्रहलाददास वगै0
निर्णय दिनांकः– 09.12.2022

(यह कि अन्य दादरसी जो वादी के हक मे हो तथा भूल से चाही जाने से रह गई हो, हस्बधारा 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट दिलवायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 की और से श्री कृष्ण कुमार शर्मा एड0 की और से वकातनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से श्री कृष्ण कुमार शर्मा एड0 ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख असल मुख्तयारनामा खास दिनांक 30.09.2019, नकल जमाबंदी सं0 2074–77 ख0न0 376, नकल जमाबंदी सं0 2074–77 ख0न0 975, नकल जमाबंदी सं0 2074–77 ख0न0 1350/975 वगै0, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी सं0 2016–2019, 2020 से 2023, 2024 से 2027, नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2063, नकल जमाबंदी सं0 2018–2021, नकल जमाबंदी सं0 2050–2053, 2054 से 2057, नकल नामान्तरकरण संख्या 337, नकल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061, नकल नामान्तरकरण संख्या 624, नकल जमाबंदी सं0 2062–2065, 2066 से 2069, नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2044 से 2063, नकल जमाबंदी सं0 2050–2053, 2058 से 2061, 2062 से 2065, 2066 से 2069, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नामान्तरकरण संख्या 2305,2306, नकल जमाबंदी सं0 2066–2069 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012, 2013 से 2016, 2017 से 2020, 2031 से 2032, 2033 से 2036, नकल वसियतनामा कैन्सीलडीड दिनांक 26.05.79।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की और से श्री कृष्ण कुमार शर्मा एड0 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के संबंध में नजीर संख्या 2015(1)DNJ(SC)-242, 2014(3)DNJ(SC)-795, 2018(3)RCW(Raj)-2097, 2016 WLC(Raj) UC-98 , 2019(1)CJ(CIV)(SC)-35, 2018(2)CJ(CIV)(RAJ)-952, 2018(2)CJ(CIV)(SC)-455, 2017(3)CJ(CIV)(RAJ)-2079, 2017(1)CJ(CIV)(RAJ)-15, 2016(1)CJ(CIV)(RAJ)-593 पेश की । प्रतिवादी वकील ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के समर्थन में नजीर संख्या 2008(3) WLC RAJ HC -534 पेश की ज। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस पर मनन किया गया तथा वादपत्र का अवलोकन किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या:– 160/2019
अंगददास स्वामी बनाम प्रहलाददास वगै0
निर्णय दिनांक:– 09.12.2022

द पत्र के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि मद संख्या 4 मे अंकित तथ्यानुसार वाद हाजा मे उत्तराधिकार का प्रश्न अन्तर्वलित है तदनुसार वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है। वाद हाजा के मद संख्या 8 के अवलोकल से स्पष्ट है कि वाद मे वर्णित भूमि से सबंधित राजस्व बिन्दुओं का निर्धारण पूर्व मे तहसीलदार (भू.अ.) सूरजगढ न्यायालय हाजा व माननीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा किया जा चुका है। अतः न्यायालय यह पाता है कि यह वाद परेशान करने वाली मुकदमे बाजी (Vexatious litigation) है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः दावा हाजा को अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाफ्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या:– 160/2019
अंगददास स्वामी बनाम प्रहलाददास वगै0
निर्णय दिनांक:– 09.12.2022

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 160/2019

निर्णय दिनांक :– 09-12-2022

अंगददास स्वामी बनाम प्रहलाददास वगै0

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री सुनिल कुमार शर्मा एड0 व प्रतिवादी सं. 01 की ओर से श्री कृष्ण कुमार शर्मा एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 09.12.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः दावा हाजा को अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाफ्ता दाखिल दफ्तर हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner